

231
23-7-02



असंशोधित

15 JUL 2002

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १-कार्यवाही-प्रश्नोत्तर)

सार्वजनिक प्रश्न संख्या - 1199 पर पूरक प्रश्न :

- श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी (मंत्री) - महोदय, बीजहोटलों की सूची हमारे पास है। इस सूची को मैं पढ़ देता हूँ।

अध्यक्ष - आप माननीय सदस्य को दे दीजिये।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी (मंत्री) - जी अच्छा। अगर माननीय सदस्य तय करते हैं कि फ्लां-फ्लां होटल हेक्ज के तहत देखाने चोरी हुई है, माननीय सदस्य बतायें तो त्वरित गति से विभाग कार्रवाई करेगा।

श्री हांकर प्र० ठेकरीवाल - मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री ने कहा कि करारोपण अधिनियम 1988 का है और इन्होंने इन होटलों को दो-तीन साल पहले, 2001 में चिह्नित किया गया है जो आने दिनों तक बर की चोरी की जाती रही तो उनके लिए - ^{बोन} जिम्मेवार पदाधिकारी है, जगह पता लगाकर माननीय मंत्री दंडित करेंगे या नहीं ?

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी (मंत्री) - महोदय, मैं स्पष्ट ढंग से कहूँ कि उहोटेस पूर्व से निर्विधात है, 5 होटल के वार्षिक निवेदन के लिए आवेदन पत्र दिये हैं और 20 होटल आज निर्विधात हैं, जो विश्व शांति धाराओं में तहत उनपर जुर्माना और जो कर वसूली की कार्रवाई की जा रही है। अगर इनकी किसी पदाधिकारी की जलियात या --- निष्क्रियता पाई जायेगी तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।